

राजस्थान-सरकार  
राजस्व (गुप-8) विभाग

क्रमांक प.9(126)राज-6/2012/99

जयपुर, दिनांक 10-06-2022

:—अधिसूचना:—


राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.9(126) राज-6/2012/86 दिनांक 23.09.2021 में निम्न संशोधन करती है, अर्थात:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के विद्यमान क्रम संख्या 10 एवं उसकी प्रविष्टियों को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

10.	चूरु	भू-प्रबंध अधिकारी, सीकर
-----	------	-------------------------

राज्यपाल की आज्ञा से,

(  
श.डी.सैनी)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में असाधारण अंक दिनांक 10.06.22 प्रकाशन हेतु।
9. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. समस्त संयुक्त सचिव एवं शासन उप सचिव, राजस्व विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

(  
शासन उप सचिव 10/06/22